न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 76/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमति सुधा बोडा पत्नी शम्भूदत्त बोडा जाति ब्राहम्ण, निवासी–पदम बाग, सेवाडी तहसील बाली, जिला पाली हाल निवासी–लालजी महाराज की गली, जालप मौहल्ला, हनुमान चौक, जालोरी गेट के अन्दर जोधपुर		1. प्रकाशचन्द्र पुत्र स्व0 किशनलाल ब्राहम्ण निवासी–पदमबाग,सेवाडी तहसील बाली जिला पाली। 2. तहसीलदार, बाली जिला पाली।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.02.2022 जो न्यायालय तहसीलदार बाली के द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 37/2019 बअनवान श्रीमति सुधा बोडा बनाम प्रकाशचन्द्र में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री अनिल परिहार, श्री रामअवतार, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 02 दिसम्बर, 2022

अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी की सास एवं रेस्पो0 संख्या एक की माता श्रीमती कमलादेवी पत्नी किशनलाल के नाम की कृषि भूमि ग्राम सेवाडी तहसील बाली के ख0सं0 1574, 1575, 1576, 1578, 1582 किस्म चाही/जाव एवं ख0सं0 1577 गै0मु0मकान, ख0सं0 1579 किस्म गै0मु0बेरा एवं ख0सं0 1580 किस्म गै0मु0 सडक व ख0सं0 1681 किस्म गै0मु0 रास्ता कुल रकबा 1.84 हैक्टर भूमि आ रखी है एवं श्रीमती कमलादेवी का स्वर्गवास के उपरान्त वसीयतनामा दिनांक 23.7.2014 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जावें।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीया के प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पटवारी हल्का सेवाडी से जॉच रिपोर्ट तलब की जिसमें पटवारी हल्का सेवाडी ने दिनांक 15.7.19 को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने एवं प्रकरण में तीन वसीयतनामें दो पंजीकृत एवं एक अपंजीकृत व तीन दस्तावेज कमशः बंटवाडा, फेमेली सेटलमेन्ट, एग्रीमेन्ट उपरोक्त भूमि बाबत निष्पादित किया होना के आधार पर वसीयतनामा दिनांक 23.7.14 के आधार पर अपीलार्थीया के नाम नामा0 दर्ज किया जाना न्यायसंगत नहीं माना और अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व0 किशनलाल के विधिक वारिसान के नाम नामा0 दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2022 को पारित कर दिया जिससे जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

वकील अपीलार्थीया ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का सेवाडी से प्राप्त जॉच रिपोर्ट जिसमें ग्राम सेवाडी के खाता संख्या 73 ख0सं0 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1589, 1581, 1582 कुल रकबा 0.6250 हैक्टर, खाता संख्या 75 ख0सं0 1578 रकबा 0.380 हैक्टर भूमि स्वअर्जित होना बताया तथा खाता संख्या 635 के ख0सं0 1829, 1830, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 कुल रकबा 07.10 हैक्टर भूमि पैतृक सम्पति होना बताया। प्रकरण के विंचारण के दौरान रेस्पो0 संख्या एक प्रकाशचन्द ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 का दिनांक 24.10.19 को पेश कर पक्षकार बनने की प्रार्थना पत्र जिसके 9 माह उपरान्त एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 10.7.20 को रेस्पो0 के पूर्व के प्रार्थना पत्रों में वर्णित दस्तावेजों से अलग नया दस्तावेज ''लिखत'' की फोटोकॉपी के साथ पेश की और आपत्ति दर्ज करवाई। जो दस्तावेज कुटरचित होने से और आफटरथोट पेश करने से अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियों का खण्डन किया गया। उसके उपरान्त भी तहसीलदार महोदय के द्वारा उन्हें नजरअंदाज करते हुए दिनांक 4.2.2022 को अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। जो पत्रावली पर मौजूद तथ्यों/दस्तावेजों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता के द्वारा उक्त लिखत दिनांक 15.3.2021 की फोटो प्रति होने के कारण उसको डी पार्ट में रखने का निवेदन किया। तत्पश्चात पेशी अन्तिम निर्णय दिनांक 23.3.21 रखी गई। जो दिनांक 23.3.21 से 31.5.21 को रखी गई। उक्त पेशी देने के पश्चात दो दिन पूर्व यानि दिनांक 21.3.21 को आदेशिका लिखी गई जिसमें पेशी दिनांक 25.10.21 दी गई है एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी ओर से लिखित बहस एवं दौरान बहस मे कथन किया कि तहसीलदार बाली के द्वारा आदेश पारित करते समय यह महत्वपूर्ण तथ्य दरकिनार कर दिया कि अपीलार्थीया द्वारा कमलादेवी की मृत्यु के उपरान्त उनके हक व हकूक की तथा जरिये बख्शीशनामा के स्वअर्जित एक तिहाई जायदाद के सम्बन्ध में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 23.7.2014 को प्रस्तुत कर उक्त वसीयत अनुसार ख0सं0 1829, 1830, 1907, 1908, 1909, 1910 के 1/3 हिस्सा के सम्बन्ध में व ख0सं0 1579, 580 व 1981 में 1/3 हिस्सा के सम्बन्ध में नामा0 भरने बाबत प्रस्तुत किया था, परन्तु अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया जो उचित नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि श्रीमती कमलादेवी की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 23.7.14 को निष्पादित वसीयनामा प्रस्तुत किया गया है, वसीयतनामा में पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा से पूर्व स्व0 कमलादेवी के द्वारा दिनांक 29.03.1988 को वसीयत लिखी गई थी जो कि दिनांक 28.4.1995 को निरस्त कर उपपंजीयक बाली के यहॉ प्रस्तुत कर पंजीकृत करवाई गई। इसके अलावा दिनांक 28.4.1995 को पंजीकृत वसीयतनामा को भी कमलादेवी के द्वारा निरस्त करवा कर दिनांक 7.11.2003 को नवीन वसीयतनामा निष्पादित किया गया। तत्पश्चात अन्य

वसीयतनामा दिनांक 1.5.06 को निष्पादित कर अपने 1/3 हिस्से की वसीयत प्रिन्स बोडा पुत्र शम्भूदत बोडा के हक में निष्पादित कर पंजीकृत करवाया। दिनांक 8.7.2007 को एक पारिवारिक समझौता कर नोटरी से तस्दीक करवाया जिसके अनुसार सम्पति तीन पक्षकारों कमलादेवी पत्नी स्व0 किशनलाल, प्रकाशचन्द पुत्र स्व0 किशनलाल, शम्भूदत पुत्र स्व0 किशनलाल के हक में बंटवाडा कर पारिवारिक समझौता किया गया परन्तु प्रकाशचन्द ने समझौते की पालना नहीं की और लगातार चूक कारित करने पर स्व0 कमलादेवी ने पारिवारिक समझौता व पूर्व में निष्पादित की गई वसीयत को निरस्त करते हुए नवीन एवं आखिरी वसीयत दिनांक 23.7.2014 को निष्पादित कर दी। जिसमें स्व0 कमलादेवी ने अपने पास बची शेष भूमि के तीन हिस्से किये थे जो करीबन 06 बीघा भूमि थी उसमें से 02 बीघा मुन्नीदेवी पत्नी प्रकाशचन्द व 02 बीघा भूमि सुधा बोडा पत्नी शम्भूदत्त बोडा को दी व शेष 2 बीघा भूमि अपने पास रखी जो कि जरिये वसीयत दिनांक 23.7.14 को सुधा बोडा यानि अपीलार्थीया के नाम हुई, उक्त भूमि रजिस्टर्ड बख्शीशनामा से प्राप्त उनकी स्वअर्जित भूमि थी।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा हस्तगत मामले को विवादित दर्शाने की नियत से झूठे व बेबुनियाद तथ्यों का संकलन कर न्यायालय तहसीलदार बाली के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। पारिवारिक समझौते की पालना प्रकाशचन्द्र पुत्र किशनलाल ने नहीं की एवं समझौता अनुसार कमलादेवी को प्रतिवर्ष 3–3 बोरी गेहूं व 2 बोरी मक्का भाग पेटे अदा करने में गलती की तथा झगडा फसाद करता रहा। जिससे क्षुब्ध होकर कमलादेवी ने पारिवारिक समझौता व पूर्व वसीयतनामें की शर्तो की पालना नहीं करने पर निरस्त करते हुए अन्तिम वसीयतनामा दिनांक 23.7.14 को निष्पादित किया। ऐसे में तहसीलदार बाली ने किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर वसीयतनामें के अनुरूप नामा0 नहीं करने का निर्णय लिया इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कमलादेवी ने उक्त पारिवारिक समझौता, एग्रीमेन्ट, बंटवाडा के जरिये निष्पादित हुई भूमियां जो स्वयं कमलादेवी ने बेचान की हो, मुन्नीदेवी पत्नी प्रकाशचन्द्र को दी है, स्वयं प्रकाशचन्द को दी हो के बाबत किसी प्रकार का कोई निरस्तीकरण का हवाला अपनी मौजूदा वसीयतनामा दिनांक 23.7.14 में नहीं किया है बल्कि जो शेष भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार कमलादेवी के हकहकूकों की और जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के स्वअर्जित की गई, उनके पास शेष रही राजस्व रेकर्ड के अनुसार भूमि बाबत मौजूदा वसीयतनामा निष्पादित किया है।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात को दरकिनार किया कि स्व0 कमलादेवी के कितने और कौन–कौन विधिक वारिसान है, कमलादेवी के जायन्दा पुत्र शम्भूदत और 2 पुत्री कलावती व तारादेवी है जिनके हस्ताक्षर पारिवारिक समझौता, एग्रीमेन्ट, बंटवाडा में कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है। जब तक सभी पक्षकारान की सहमति एवं हस्ताक्षर न हो तब तक ऐसे दस्तावेज शुरू से ही शून्य है। इसके अतिरिक्त प्रकाशचन्द ने एक प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का सेवाडी को पेश कर वसीयतनामा व पारिवारिक समझौता के आधार पर नामा0 करने हेतु पेश किया .... अपीलार्थीया के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने

पर अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर पक्षकार बनने की प्रार्थना की, तत्पश्चात दिनांक 10.7.20 को अपनी आपत्तियां दर्ज करते हुए कमलादेवी के कूटरचित हस्ताक्षरित एक फोटोप्रति लिखत की पेश की जिसका हवाला पूर्व में नहीं दिया गया तथा अपीलार्थीया के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की गई। प्रकाशचन्द ने उक्त लिखत मूल रूप से पेश नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उक्त लिखत पर कब गवाहान के बयान कलमबद्ध किये गये वह दिनांक न तो लिखत के गवाहान को बयानों पर अंकित है न ही उन गवाहों को नोटिस देकर बुलाना, उपस्थित होकर बयान देने का इन्द्राज आदेशिकाओं में वर्णित है जो विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह है। प्रकाशचन्द मुकबधीर है एवं उसके किये गये हस्ताक्षर भी भिन्न कर रखे है। जिससे दस्तावेज कूटरचित होना दर्शाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि दिनांक 26.11.19 की ऑर्डरशीट पढने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.11.19 को अप्रार्थी/प्रत्यर्थी एडवोकेट ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा पेश करने हेतु समय चाहा जिस पर समय दिया जाकर दिनांक 10.1.20 दी गई परन्तु आगामी तारीख पेशी से लेकर फेसला दिनांक 4.2.22 तक प्रत्यर्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि उसके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। तत्पश्चात अचानक दिनांक 26.4.16 की एक लिखत पेश करना दर्शाता है कि प्रत्यर्थी हरसम्भव प्रयास से अपीलार्थीया के हक वाली भूमि को हथियाने की नियत रखता है। वादग्रस्त भूमि की कमलादेवी इकलोती मालकिन थी जिसे मुन्तकिल कर सम्पूर्ण अधिकार उसके पास ही था एवं उसी अनुरूप ही वसीयतनामा निष्पादित किया था। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हस्तगत मामले में अपनी मनमर्जी से व विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित कर दिया जो माननीय सर्वोच्य न्यायालय की नजीर रविन्द्रकौर वगैराह बनाम मंजित कौर वगैराह का हवाला देकर पारित किया है वो विधि सम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए इस आशय के निर्देश दिये जावे कि दिनांक 23.7.2014 को निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर नामा0 दर्ज किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय पेश किये गये यथा– बद्रीलाल बनाम सुरेश वगैराह सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील 6524/2021, एसएलपी 24886/2019 एवं आरएस ए नं0 87 ऑफ 2010

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के समक्ष अपीलार्थीया की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दिनाक 27.5.2019 को उनकी ओर से पटवारी हल्का सेवाडी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में अपनी माता कमला देवी के हक–हिस्से में आई हुई भूमि का एक वसीयतनामा व एक पारिवारिक समझौता जरिये पंजीबद्ध के निष्पादित किये जाने के आधार पर उक्त कृषि भूमि में इन दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पेश किया था, उक्त

थी।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उल्लेखित वसीयतनामें के आधार पर तहसीलदार बाली के द्वारा जॉच करवाई गई थी। उनके ससुर के द्वारा उनकी सास कमलादेवी के नाम बख्शीशनामा निष्पादित किया था। दिनांक 23.7.2014 के पूर्व में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम 02 वसीयतनामें निष्पादित किये हुए थे। कमलादेवी के द्वारा पूर्व के निष्पादित वसीयतनामों को निरस्त करवा दिया गया। वर्ष 2016 में वर्ष 2014 का वसीयतनामा खारिज कर दिया था तो उस वसीयतनामें के आधार पर भूमि अपने नाम करवाने की अपीलार्थीया अधिकारी नहीं बन सकती है। अपीलार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की जानकारी मिलने पर उनके द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम सेवाडी के खसरान नम्बरान एवं उक्त वसीयतनामा के संदर्भ में आपत्ति दर्ज करवाई गई। तथा यह भी उल्लेख किया कि ख0सं0 1575, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582 कुल 07 खसरा रकबा 0.6250 हैक्टर भूमि कमला देवी को उनके पति द्वारा बख्शीश की गई थी तथा ख0सं0 1829, 1830, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 कुल रकबा 7.10 हैक्टर भूमि पैतृक सम्पति है। कमलादेवी व उनके दोनों पुत्रों ने इकरारनामा दिनांक 23.1.90 को बंटवाडा किया जाकर आधी–आधी भूमि बांटकर दी गई व उक्त भूमि का पारिवारिक समझौता लिखत दिनांक 8.6.2097 को निष्पादित हुआ। इसी दौरान कमला देवी ने प्रथम रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 28.4.95 को निष्पादित किया। दूसरा वसीयतनामा दिनांक 7.11.03 को निष्पादित किया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती कमलादेवी के द्वारा निष्पादित लिखत दिनांक 26.4.16 में कमलादेवी ने लिखा कि उनके द्वारा दिनांक 26.4.16 से पूर्व के तमाम लिखत व वसीयतनामे मेरी जानकारी के बगैर करवाये गये है तो निरस्त माने जायेगे। ऐसे में उल्लेखित सभी तथ्यों एवं निष्पादित दस्तावेजों के विरोधाभास होने के आधार अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपने पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने को तहसीलदार बाली के द्वारा अस्वीकार किया गया है वो विधि अनुकूल उचित है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों यानि तीन वसीयतनामें, दो पंजीकृत व एक अपंजीकृत व तीन दसतावेज क्रमशः बंटवाडा, फैमेली सेटलमेन्ट, एग्रीमेन्ट तथा उल्लेखित कथनों, बयानों के आधार पर अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामा0 दर्ज किया जाना न्यायसंगत नहीं माना था। रेस्पो0 के द्वारा निर्णय नजीर रविन्द्र कौर बनाम मंजित कौर निर्णय दिनांक 31.7.20 पेश की गई जिसमें पारिवारिक सेटलमेन्ट निष्पादित हो जाने के पश्चात वह प्रभावी रहता है ऐसे में वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जावें। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलार्थीया की अपील को खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय

दिनांक 29.3.1988, 28.04.1995, 07.11.2003 एवं दिनांक 23.07.2014 को वसीयतनामें निष्पादित किये गये है जिनमें से कई वसीयतनामें पंजीबद्ध एवं कई वसीयतनामें अपंजीबद्ध है। इसके अलावा भी वादग्रस्त भूमि के पारिवारिक बंटवाड़ा, फेमेली सेटलमेन्ट, एग्रीमेन्ट वगैराह भी निष्पादित किये गये है। उक्त दस्तावेजात में हक–हकूक का निर्धारण करने हेतु कौनसा दस्तावेज किस हद तक अधिकारों का विनिश्चिय करेगा यह क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। एतएव अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर मनन करने व विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 02 दिसम्बर,2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर